HRA En ISIUSIUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512|

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 8, 2012/आश्विन 16, 1934

No. 5121

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2012/ASVINA 16, 1934

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर 2012

सा.का.नि. 750(अ).—कंपनी, (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (छठे संशोधन नियम, 2012) में प्रपत्र 23कग और 23कगक के लिए संशोधन के लिए दिनांक 21 सितम्बर, 2012 की सा.का.नि. 705(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में पृष्ठ संख्या 7, तालिका संख्या ग और पृष्ठ संख्या 8, तालिका संख्या ङ पर उक्त नियमों में ऋण और अग्रिम शब्दों के बाद "निदेशकों को" शब्द को "निदेशकों द्वारा" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. 17/160/2012/सीएल-V] अविनाश कु. श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th October, 2012

GS.R. 750(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs published in the Gazette of India vide G.S.R. 705(E), dated 21st September, 2012 relating to amendment of the Companies (Central Government) General Rules and Forms (6th Amendments Rules, 2012) for Forms 23AC and 23ACA, in page number 7, in table number C and page number 8, table number E. In the said Rules, for the word "to Directors" appearing after the word loans and advances shall be substituted by word "by Directors."

[F. No. 17/160/2012/CL-V]

AVINASH K. SRIVASTAVA, Addl. Secy.